

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/110/17

बउनवान

1. मुन्शीराम पुत्र सुर्जन जाति माली निवासी साँखर तहसील कटूमर
--- वादी

बनाम

1. मंगतू पुत्र सुर्जनराम जाति माली निवासी साँखर
2. रामदेव पुत्र सुर्जनराम जाति माली निवासी साँखर
3. तहसीलदार कटूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

एवं

राजस्व वाद संख्या 1/86/17

1. मंगतू पुत्र सुर्जन जाति माली निवासी साँखर तहसील कटूमर
--- वादी

बनाम

1. रामहेत पुत्र सुर्जनराम जाति माली निवासी साँखर
2. मुंशीराम पुत्र सुर्जनराम जाति माली निवासी साँखर
3. सूरज पुत्र रामजीलाल जाति माली निवासी साँखर
4. फूलसिंह पुत्र रामजीलाल जाति माली निवासी साँखर
5. दुर्जन पुत्र गंगाराम जाति माली निवासी साँखर
6. तहसीलदार कटूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपरिथत :

श्री राजेश कुमार अवरथी :- अधिवक्ता वादी

श्री त्रिलोक शर्मा :- अधिवक्ता प्रतिवादी

श्री रामजीलाल शर्मा :- अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 30.06.18

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 307/2133 रकवा 0.02 हे., खसरा नम्बर 415 रकवा 0.39 हे., 716 रकवा 0.61 हे. कुल कित्ता 3 रकवा 1.02 हे. वाके ग्राम साँखर तहसील कटूमर में स्थित है जो आराजी वादी के 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के 1/3 हिस्सा हिस्सा की संयुक्त कब्जे काश्त

and

खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने भी एक अन्य वाद बउनवान मंगतू बनाम रामहेत वगै. बाबत दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 307/2133 रकबा 0.02 हे., खसरा नम्बर 415 रकबा 0.39 हे., 716 रकबा 0.61 हे. कुल किता 3 रकबा 1.02 हे. 1/3 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 417 रकबा 0.62 हे. का 2/9 हिस्सेनुसार, खसरा नम्बर 291 रकबा 0.16 हे. का 1/6 हिस्सेनुसार वाके ग्राम साँखर तहसील कटूमर में स्थित है जो आराजी हिस्सा की संयुक्त कब्जे काशत खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। वकुलान/फरीकेन उपस्थित हुये। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दीवानी पेश कर दोनो दावो के खसरा नम्बर एवं अनुतोष एवं पक्षकार समान होने के कारण समायोजन करने का निवेदन किया। जिसे स्वीकार कर, पत्रावली का समायोजन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की वहस पर मनन कर तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया जाकर वाद वादिया दिनांक 29.05.2018 को प्रारम्भिक रूप से डिकी किया गया। निर्णय की पालना में तहसीलदार कटूमर द्वारा हाजिर अदालत होकर अपनी कुरेजात रिपोर्ट पेश की है अधिवक्ता उभय पक्ष ने आपत्ति पेश की खसरा नम्बर 415 रकबा 0.39 हे. एवं खसरा नम्बर 291 रकबा 0.16 हे. का भी विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया जावे। तहसीलदार कटूमर ने पुनः विभाजन प्रस्ताव पेश किया जिस पर पक्षकारों ने कोई आपत्ति पेश नहीं की है। अतः दावा वादिया मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कटूमर अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादिया मुताविक कुरेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तहसीलदार कटूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 716/5 रकबा 0.19 हे., खसरा नम्बर 291/1 रकबा 0.02 हे., खसरा नम्बर 415 रकबा 0.13 हे., खसरा नम्बर 417/3 रकबा 0.11 हे. कुल किता 4 रकबा 0.45

and

हे. मुंशीराम पुत्र सुर्जन माली को, खसरा नम्बर 716/1 रकवा 0.15 हे., खसरा नम्बर 716/4 रकवा 0.04 हे., खसरा नम्बर 291/2 रकवा 0.03 हे., खसरा नम्बर 415/1 रकवा 0.13 हे., खसरा नम्बर 417/1 रकवा 0.10 हे. कुल किता 5 रकवा 0.45 हे. मंगतू पुत्र सुर्जन माली को, खसरा नम्बर 716 रकवा 0.15 हे., खसरा नम्बर 716/3 रकवा 0.04 हे., खसरा नम्बर 291/3 रकवा 0.03 हे., खसरा नम्बर 415/2 रकवा 0.13 हे., खसरा नम्बर 417/2 रकवा 0.10 हे. कुल किता 5 रकवा 0.45 हे. रामहेत पुत्र सुर्जन माली को, खसरा नम्बर 716/2 रकवा 0.04 हे., खसरा नम्बर 307/2133 रकवा 0.02 हे. कुल किता 2 रकवा 0.06 हे. मुंशीराम, मंगतू, रामहेत पिता सुर्जन माली को, खसरा नम्बर 417 रकवा 0.21 हे. सुरज, फूलसिंह पिता रामजीलाल माली को, खसरा नम्बर 291 रकवा 0.08 हे. दुर्जन पुत्र गंगाराम माली को तकसीम में दिया जाकर खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कटूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू-राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)

आज दिनांक 30.06.18 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)

पर्चा डिकी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/110/17

बउनवान

1. मुन्शीराम पुत्र सुर्जन जाति माली निवासी साँखर तहसील कटूमर
--- वादी

बनाम

1. मंगतू पुत्र सुर्जनराम जाति माली निवासी साँखर
2. रामदेव पुत्र सुर्जनराम जाति माली निवासी साँखर
3. तहसीलदार कटूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

एवं

राजस्व वाद संख्या 1/86/17

1. मंगतू पुत्र सुर्जन जाति माली निवासी साँखर तहसील कटूमर
--- वादी

बनाम

1. रामहेत पुत्र सुर्जनराम जाति माली निवासी साँखर
2. मुंशीराम पुत्र सुर्जनराम जाति माली निवासी साँखर
3. सूरज पुत्र रामजीलाल जाति माली निवासी साँखर
4. फूलसिंह पुत्र रामजीलाल जाति माली निवासी साँखर
5. दुर्जन पुत्र गंगाराम जाति माली निवासी साँखर
6. तहसीलदार कटूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादिया मुताविक कुरेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तहसीलदार कटूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 716/5 रकवा 0.19 हे., खसरा नम्बर 291/1 रकवा 0.02 हे., खसरा नम्बर 415 रकवा 0.13 हे., खसरा नम्बर 417/3 रकवा 0.11 हे. कुल कित्ता 4 रकवा 0.45 हे. मुंशीराम पुत्र सुर्जन माली को, खसरा नम्बर 716/1 रकवा 0.15 हे., खसरा नम्बर 716/4 रकवा 0.04 हे., खसरा नम्बर 291/2 रकवा 0.03 हे., खसरा नम्बर 415/1

amk

रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 417/1 रकबा 0.10 है. कुल किता 5 रकबा 0.45 है. मंगतू पुत्र सुर्जन माली को, खसरा नम्बर 716 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 716/3 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 291/3 रकबा 0.03 है., खसरा नम्बर 415/2 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 417/2 रकबा 0.10 है. कुल किता 5 रकबा 0.45 है. रामहेत पुत्र सुर्जन माली को, खसरा नम्बर 716/2 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 307/2133 रकबा 0.02 है. कुल किता 2 रकबा 0.06 है. मुंशीराम, मंगतू, रामहेत पिता सुर्जन माली को, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.21 है. सुरज, फूलसिंह पिता रामजीलाल माली को, खसरा नम्बर 291 रकबा 0.08 है. दुर्जन पुत्र गंगाराम माली को तकसीम में दिया जाकर तहसीलदार कटूमर कों आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू-राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 30.06.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।



(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)